## न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
## (पीठासीन अधिकारी: मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.)

**आवेदक**

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

**बनाम**

**प्रतिवादी/अभियुक्त**

1. अशोक कुमार पण्डित पुत्र श्री रामेश्वर पंडित, जाति- पण्डित, उम्र 57 वर्ष
   निवासी- हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, आकराभट्टा, तहसील-आबूरोड़, जिला- सिरोही

फर्म:- ब्लू सी ड्रिंकिग वाटर, 49 तलवारों का नाका, मानपुर, आबूरोड़, जिला-सिरोही

**प्रकरण संख्या: 14/2019**

**"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"**

**उपस्थिति:**

1. श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. प्रतिवादी अशोक कुमार पण्डित

**-: निर्णय :-** **दिनांक 21 अगस्त, 2019**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी के विरुद्ध यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 19.4.2019 को समय 2.00 पी.एम. पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी फर्म ब्लू सी ड्रिंकिग वाटर, 49, तलवारों का नाका, मानपुर, आबूरोड़, जिला-सिरोही पर पँहुचा। वहां पर विक्रेता के रुप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति अशोक कुमार पण्डित पुत्र श्री रामेश्वर पण्डित, निववासी- हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, आकराभट्टा, तहसील- आबूरोड़, जिला- सिरोही है एवं फर्म ब्लू सी ड्रिंकिग वाटर, 49, तलवारों का नाका, मानपुर, आबूरोड़ पर मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से मौजूद है, जो आम जनता के उपयोग हेतु पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (ब्लू सी ब्राण्ड) का निर्माण व विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु विकय किये जाने वाले पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (ब्लू सी ब्राण्ड) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं प्लान्ट के अन्दर पैकिंग एरिया में मौजूद पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (ब्लू सी ब्राण्ड) के 150 पैक्ड बोतल (प्रत्येक एक लीटर) में से 16 पैक्ड बोतल (प्रत्येक एक लीटर) खरीदी एवं उसकी कीमत राशि रुपये 96/- अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। खरीद रसीद बिल पर विक्रेता व उपस्थित गवाह और मेरे हस्ताक्षर है। फार्म संख्या- 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं मैने भी अपने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल पर कोड एवं सीरियल नं.

....पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये है। तत्पश्चात् खरीदशुदा नमूना बोतलों में से चार-चार बोतल मिलाकर टेप से चिपका कर चार पैकेट बनाये। तत्पश्चात् चारों नमूना पैकेटों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारों नमूनो भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर, प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-928 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाह ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारो नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नंबर 6 की दो-दो प्रतियां लिफाफों में अलग बन्द कर गोंद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 22.4.2019 को नमूनें का एक भाग एवं फार्म नंबर 6 का एक सील्ड लिफावा श्री बाबुलाल, वार्ड बॉय, कार्यालय अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 19.4.2019 को ही शेष तीन सील बन्द नमूना व फार्म नम्बर- 6 का सील बन्द लिफावा अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो मूल ही संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (ब्लू सी ब्राण्ड) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता से जांच हेतु क्रय किया गया पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (ब्लू सी ब्राण्ड) का नमूना S-928 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। प्रकरण में अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर प्रतिवादी अभियुक्तगण द्वारा मिथ्याछाप पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (ब्लू सी ब्राण्ड) का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादी ने मिथ्याछाप (Misbranded) पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (ब्लू सी ब्राण्ड) का निर्माण व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो धारा- 52 के तहत

.....पेज तीन पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

जुर्माना योग्य अपराध है। अत: प्रतिवादी अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 21.8.2019 को प्रतिवादी उपस्थित हुआ एवं लिखित जवाब प्रस्तुत कर अपनी गलती स्वीकार की। प्रतिवादी अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाब में यह अंकित किया है कि दिनांक 19.4.2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा जो पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (ब्लू सी ब्राण्ड) का नमूना जांच हतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार मिस ब्राण्ड पाया गया। मुझे लेबल की कमी होने की जानकारी नही थी, अब मैने लेबल का सुधार करवा लिया है, भविष्य में इस प्रकार की गलती नही होगी। यह मेरी प्रथम गलती है, इसलिये कम से कम जुर्माना आरोपित कर प्रकरण का निस्तारण करावे।

(3) प्रकरण में प्रतिवादी अभियुक्त द्वारा गलती स्वीकार कर लिये जाने से दिनांक 21.8.2019 को ही उभय पक्ष की बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी ने मिथ्याछाप पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (ब्लू सी ब्राण्ड) का निर्माण व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित किया जावे। जबकि प्रतिवादी ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि यह प्रतिवादी अभियुक्त की प्रथम गलती है। प्रतिवादी को लेबल पर लाईसेन्स नम्बर लिखना आवश्यक होने की जानकारी नही थी। अब लेबल में सुधार कर लिया है व वह भविष्य में इस प्रकार की गलती नही करेगा, इसलिये कम से कम जुर्माना आरोपित कर प्रकरण का निस्तारण करावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 19.4.2019 को 2.00 पी.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म ब्लू सी ड्रिंकिंग वाटर, 49, तलवारों का नाका, मानपुर, आबूरोड़, जिला- सिरोही पर गये। वहां उक्त ब्लू सी ड्रिंकिंग वाटर, 49 तलवारों का नाका, मानपुर, आबूरोड़, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से अशोक कुमार पण्डित पुत्र श्री रामेश्वर पण्डित, जाति- पण्डित, निवासी- हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, आकराभट्टा, तहसील- आबूरोड़, जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता के उपयोग हेतु पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (ब्लू सी ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म ब्लू सी ड्रिंकिंग वाटर प्लान्ट के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु विक्रय किये जाने वाले पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (ब्लू सी ब्राण्ड) के मिथ्याछाप व अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय

....पेज चार पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री सुरेश कुमार कोली, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वस्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष विक्रेता/खाद्यकारोबारकर्ता अशोक कुमार पण्डित को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी तथा प्लान्ट के अन्दर पैकिंग एरिया में मौजूद पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (ब्लू सी ब्राण्ड) की 150 पैक्ड बोतल (प्रत्येक एक लीटर) में से पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (ब्लू सी ब्राण्ड) की 16 पैक्ड बोतलें (प्रत्येक एक लीटर) खरीदी व उसकी कीमत राशि रुपये 96/- (अक्षरे रुपये छियानवे मात्र) अदा कर क्रय करने की खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता अशोक कुमार पण्डित व उक्त गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं कमांक S-928, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर उक्त खाद्य कारोबारकर्ता अशोक कुमार पण्डित व उक्त गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (ब्लू सी ब्राण्ड) की खरीद शुदा पैक्ड 16 बोतलों में से 4-4 पैक्ड बोतलें मिलाकर टेप से चिपकाकर चार पैकेट बनाये। तत्पश्चात् चारों नमूना पैकेटा पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया व चारों नमूनों भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-928 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता अशोक कुमार पण्डित व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूनों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की गई। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता अशोक कुमार पण्डित व उक्त गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ कय का बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त फर्म ब्लू सी ड्रिंकिंग वाटर, 49, तलवारों का नाका, मानपुर, आबूरोड़, जिला- सिरोही में विक्रेता अशोक कुमार पण्डित से पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (ब्लू सी ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (ब्लू सी ब्राण्ड) के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पँहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की तथा नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। साथ ही, फार्म नम्बर-6 की दो-दो

.....पेज पांच पर

प्रति, जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

प्रतियां अलग से लिफावों में रखकर लिफावों को सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 22.4.2019 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा श्री बाबुलाल, वार्ड बॉय, कार्यालय अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर-6 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 19.4.2019 को ही जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में उक्त पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (ब्लू सी ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-928 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./341/Act/2019/ 394 दिनांक 09.5.2019 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा ब्लू सी ड्रिंकिंग वाटर, 49, तलवारों का नाका, मानपुर, आबूरोड़, जिला- सिरोही में विक्रेता अशोक कुमार पण्डित से वास्ते जांच क्रय किया गया पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (ब्लू सी ब्राण्ड) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(A)(i)(a), 3(1)(zf)(B)(ii) and 3(1)(zf)(c)(i) के अर्न्तगत मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अत: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 52 के तहत प्रतिवादी अशोक कुमार पण्डित पुत्र श्री रामेश्वर पण्डित, जाति- पण्डित, निवासी- आकराभट्या, तहसील- आबूरोड़, जिला- सिरोही, विक्रेता एवं मालिक, ब्लू सी ड्रिंकिंग वाटर, 49 तलवारों का नाका, मानपुर, आबूरोड़, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 25,000/- (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी को चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में उक्त तरह के मिथ्याछाप उत्पाद का विक्रय नही किया जावे। साथ ही, प्रतिवादी अशोक कुमार पण्डित पुत्र श्री रामेश्वर पण्डित, जाति- पण्डित, निवासी- आकराभट्या, तहसील- आबूरोड़, जिला- सिरोही को आदेशित को किया जाता है कि उस पर आरोपित उक्त जुर्माना राशि रुपये 25,000/- (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्टेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही